

प्रेस नोट

08.11.2021

02 वांछित अभियुक्त गिरफतार—

आज दिनांक 08.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा जामड़ीह के पास से मु0अ0सं0 363/21 धारा 354 भादवि0 व 7/8 पोक्सों एकट में वांछित अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ रामभवन शर्मा निवासी बीबीपुर थाना मधुबन, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा कर्थिजाफरपुर के पास से मु0अ0सं0 497/21 धारा 376ए,बी,504,506 भादवि0 व 5/6 पोक्सों एकट में वांछित अभियुक्त सतेन्द्र यादव उर्फ तरबूजा पुत्र विनोद यादव निवासी जहनियापुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफतार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाजायज चाकू के साथ एक शातिर गिरफतार—

आज दिनांक 08.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा रामपुर चकिया के पास से अरविन्द भारती पुत्र हीरालाल निवासी महरनिया थाना कोतवाली के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद कर गिरफतार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफतार—

आज दिनांक 08.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरेयाकोट पुलिस द्वारा फिरोज अहमद निवासी वलीनगर थाना चिरेयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सन्नी कुमार, बन्धन निवासीगण गौरीडीह, धमेन्द्र उर्फ महेन्द्र, सुरेन्द्र निवासीगण शाहपुर थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रामकृपाल पटेल निवासी मुबारकपुर थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा रामविकाश, हरिबंस निवासीगण जीवापार, रामअधार, दिनेश, दुर्गविजय निवासीगण नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आलोक यादव, उमेश यादव निवासी खालिसा, योगेन्द्र कुमार, बुद्ध निवासीगण तवसलपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना चिरेयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रहमन्नू उर्फ रमेश पुत्र स्व0 अर्जुन निवासी पचिशतामोलना थाना चिरेयाकोट जनपद मऊ को गिरफतार कर चालान न्यायालय किया गया।